न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :— 36/2021

प्रार्थीगण **बनाम** **अप्रार्थीगण**

प्रार्थीगण

1. बलवीरसिंह पुत्र स्व. श्री रतनसिंह जाति राजपूत (सोढा)निवासी ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राज.
2. दयालसिंह पुत्र स्व. श्री रतनसिंह
3. मैनादेवी पत्नी स्व. श्री रतनसिंह
4. सुशीला पुत्री स्व. श्री रतनसिंह
5. सुमित्रा पुत्री स्व. श्री रतनसिंह
6. इन्द्रा पुत्री स्व. श्री रतनसिंह

प्रार्थी संख्या 2 से 6 जातियान राजपूत (सोढा) निवासीगण ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राज. जरिये खास मुख्त्यार बलवीरसिंह पुत्र स्व. श्री रतनसिंह आयु 40 वर्ष, जाति राजपूत (सोढा) निवासी ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राज.

अप्रार्थीगण

1. परसाराम पुत्र स्व. श्री उम्मेदराम
2. सुमेरराम पुत्र स्व. श्री उम्मेदराम
3. मानाराम पुत्र स्व. श्री उम्मेदराम
4. रूकमा पुत्री स्व. श्री उम्मेदराम
5. संतोष पुत्री स्व. श्री उम्मेदराम
6. जवरी पत्नी स्व. श्री उम्मेदराम
7. गिरधारीराम पुत्र स्व. श्री मंगाराम
8. मांगीलाल पुत्र स्व. श्री मंगाराम जातियान जाट निवासीगण ग्राम खेजड़ला, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राज.
9. तहसीलदार एवं पदेन उप पंजीयक बिलाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

— — — — —

उपस्थितिः— प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता।

अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

अप्रार्थी संख्या 9 सरकारी पैरोकार।

:: आदेश :: **दिनांक**

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 370 रकबा 47 बीघा 02 बिस्वा, किस्म बारानी 'ए' आयी हुयी है। जो पूर्व में खातेदार चिमना वल्द हीरा, लालू वल्द श्रीराम, मंगा वल्द शिम्भू, बेना वल्द गेना, हिम्मता वल्द धूला कौम जाट [illegible] खातेदारीसुदा व कब्जा काश्तसुदा कृषि भूमि थी। जिसमें [illegible] का प्रत्येक का 1/5 वॉ

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:13:40 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा था। खातेदार मंगा वल्द शिम्भू द्वारा अपना 1/5 वॉ हिस्सा व खातेदार हिम्मता वल्द धूला द्वारा अपना 1/5 वॉ हिस्सा की भूमि प्रार्थीगण के पिता/ पति स्व. रतनसिंह को सन् 1962 में 1200/– रूपये प्रतिफल राशि प्राप्त कर बैचान की तथा बैचान की लिखत प्रार्थीगण के पिता/पति के पक्ष में खातेदार मंगा व हिम्मता द्वारा तिथि छः फकत मिति फागन वदी 10 सन् 1962 को निष्पादित की तथा बैचानसुदा भूमि का कब्जा प्रार्थीगण के पिता/पति स्व. रतनसिंह जी को सुपुर्द किया। तब से वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रार्थीगण के पिता/पति स्व. रतनसिंह जी व उनके जीवनकाल में उनके साथ–साथ व उनके स्वर्गवास के पश्चात् प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण स्व. रतनसिंह के प्रथम श्रेणी के वारिसान है। उक्त बैचान के अनुसरण में खातेदार हिम्मताराम द्वारा स्व. रतनसिंह को बैचान की गयी अपने 1/5 हिस्से की भूमि स्व. रतनसिंह जी के नाम खातेदारी के रूप में उनके जीवनकाल में ही दर्ज हो गयी तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात् जरिये फौतेदगी म्यूटेशन प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे बतौर खातेदार के रूप में दर्ज हो चुका है। खातेदार मंगा द्वारा अपने 1/5 हिस्से की भूमि जो स्व. रतनसिंह जी को उक्त बैचान के जरिये बैचान की थी वो भूमि आज दिन तक न तो स्व. रतनसिंह के नाम व न ही प्रार्थीगण के नाम से खातेदारी के रूप में दर्ज हुई है। जबकि स्व. रतनसिंह जी द्वारा उक्त बैचान के आधार पर खातेदारी दर्ज करने हेतु हल्का पटवारी को बैचान की प्रति दे दी थी। प्रार्थीगण के पिता/पति स्व. रतनसिंह जी का स्वर्गवास दिनांक 19.12.2016 को हो चुका है तथा प्रार्थीगण स्व. रतनसिंह जी के प्रथम श्रेणी के वारिसान है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि अपने नाम से खातेदारी दर्ज करवाने व घोषित करवाने का कानूनन हक व अधिकार रखते है। प्रार्थी दयालसिंह जो कि परिचालक पद पर कार्यरत होने से व अन्य घरेलु कार्यो में व्यस्त होने से न्यायालय में उपस्थित होकर पैरवी व कार्यवाही नही कर सकता तथा प्रार्थी मैनादेवी वृद्ध होने की वजह से न्यायालय में उपस्थित होकर पैरवी व कार्यवाही नही कर सकती है, इसी प्रकार प्रार्थीगण सुमित्रा, इन्द्रा, सुशीला जो कि तीनों शादीसुदा है जो अधिकांशत अपने ससुराल में ही रहती है, इस कारण वो भी न्यायालय में उपस्थित होकर पैरवी व कार्यवाही नही कर सकती है। इसलिए प्रार्थीगण दयालसिंह, मैनादेवी, सुशीला, सुमित्रा व इन्द्रा द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में समस्त प्रकार की कानूनी कार्यवाही करने हेतु प्रार्थी बलवीरसिंह के पक्ष में दिनांक 16.01.2017 को रूबरू मौतबिरान की उपस्थिति में खास मुख्त्यारनामा निष्पादित करके दिया जो आज दिन तक वैद्य व प्रभाव में है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वयं की हैसियत से व उपरोक्त समस्त प्रार्थीगण दयालसिंह, मैनादेवी, सुशीला, सु[illegible] इन्द्रा की ओर से उक्त खास मुख्त्यारनामा के जरिये [illegible] पर पेश किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:13:40 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थीगण के पिता/पति स्व. रतनसिंह जी द्वारा 1962 में खरीद करने के बाद स्व. रतनसिंह द्वारा नियमानुसार राज्य सरकार को बिगोड़ी अदा की है। जिसके सम्बंध में बिगोड़ी की रसीदे प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में कृषि सुधार कार्य हेतु ऋण की जरूरत होने पर प्रार्थीगण द्वारा आवश्यक दस्तावेज चालु जमाबन्दी की नकल लेने हेतु हल्का पटवारी के पास दिनांक 05.09.2016 को हल्का पटवारी ग्राम खेजड़ला के पास गये तो हल्का पटवारी ने वादग्रस्त कृषि भूमि का चालु जमाबन्दी का रेकर्ड देखकर बताया कि वादग्रस्त कृषि भूमि न तो स्व. रतनसिंह जी के नाम से व न ही प्रार्थीगण के नाम से खातेदारी के रूप में दर्ज है, अपितु वादग्रस्त कृषि भूमि अप्रार्थीगण के नाम से खातेदारी के रूप में दर्ज है। तब प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि अप्रार्थीगण के नाम से खातेदारी के रूप में कैसे दर्ज हुई ? इसका पता करने हेतु वादग्रस्त कृषि भूमि की पुरानी जमाबन्दी संवत् 2016 से 2019, संवत् 2028 से 2031, संवत् 2032 से 2035, संवत् 2036 से 2039, संवत् 2045 से 2048, संवत् 2048 से 2052 की नकल नियमानुसार शुल्क अदा कर दिनांक 05.06.2016 को प्राप्त की तब प्रार्थीगण के पिता स्व. रतनसिंह जी व प्रार्थीगण को प्रथम बार यह जानकारी में आया कि अप्रार्थीगण द्वारा खातेदार मंगाराम व उसका पुत्र उम्मेदराम फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 921 व 1832 द्वारा यह जानकारी में होते हुए भी कि वादग्रस्त कृषि भूमि मंगाराम द्वारा स्व. रतनसिंह को बैचान की हुई है तथा वक्त खरीद से लेकर वादग्रस्त कृषि भूमि पर स्व. रतनसिंह व उनके वारिसान प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है, फिर भी अप्रार्थीगण द्वारा धोखा धड़ी से व आपराधिक षडयंत्र रचकर राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में अपने नाम से फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज व स्वीकृत करवाकर वादग्रस्त कृषि भूमि अपने नाम दर्ज करवा दी। जबकि वादग्रस्त कृषि भूमि को खातेदार मंगाराम द्वारा स्व. रतनसिंह को बैचान करने के बाद न तो मंगाराम का व न ही उसके वारिसानों का वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार का कानूनन हक व अधिकार रहा। वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में अप्रार्थीगण द्वारा दर्ज करवाये गये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 921 व 1832 से अप्रार्थीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में कानूनन किसी प्रकार का हक व अधिकार प्राप्त नही होता है क्योकि खातेदार मंगाराम द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि को स्व. रतनसिंह को बैचान करने के बाद खातेदार मंगाराम के अधिकार वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में समाप्त हो गये। इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में मंगाराम व उसके पुत्र उम्मेदराम का फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 921 व 1832 शून्य, अवैध व प्रभावहीन है तथा ऐसे शून्य, अवैध व प्रभावहीन फौतेदगी म्यूटेशन से न तो स्व. रतनसिंह [illegible] व न ही उनके स्वर्गवास के पश्चात् जरिये उतराधिकार के तहत प्रार्थीगण के हक व अधिकार समाप्त होते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:13:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण वादग्रस्त कृषि भूमि स्व. रतनसिंह की खरीदसुदा होने के कारण तथा स्व. रतनसिंह जी का स्वर्गवास होने के कारण जरिये हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने व घोषित करवाने का कानूनन हक व अधिकार रखते है। स्व. रतनसिंह जी द्वारा अपने जीवनकाल में अप्रार्थीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि पुनः उनके नाम दर्ज करवाने हेतु जरिये अधिवक्ता के मार्फत कानूनी नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के पिता/पति स्व. रतनसिंह जी के नाम से वापिस खातेदारी दर्ज नही करवायी। उक्त नोटिस का जवाब अप्रार्थी गिरधारीराम द्वारा दिया गया जिसमें भी उसके द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर वक्त खरीद से लेकर आज दिन तक स्व. रतनसिंह व प्रार्थीगण का कब्जा काश्त होना माना है। स्व. रतनसिंह जी को मंगाराम व उम्मेदराम के फौत होने पर धोखा धड़ी व बेईमानी से वादग्रस्त कृषि भूमि जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 921 व 1832 द्वारा अप्रार्थीगण द्वारा अपने नाम दर्ज करवाने तथा स्व. रतनसिंह द्वारा नोटिस देने के बावजूद वादग्रस्त कृषि भूमि की खातेदारी वापिस प्रार्थीगण के पिता/पति स्व. रतनसिंह जी के नाम दर्ज नही करवाने पर स्व. रतनसिंह जी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जरिये परिवाद अप्रार्थीगण के विरूद्ध पुलिस थाना बिलाड़ा में फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके सी.आर. नम्बर 57/2017 है। जिसमें बाद अनुसंधान थानाधिकारी पुलिस थाना बिलाड़ा द्वारा अप्रार्थी परसाराम, मांगीलाल, सुमेरराम, मानाराम के विरूद्ध धोखा धड़ी व आपराधिक षडयंत्र का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित मानते हुए उनके विरूद्ध उपरोक्त मुकदमें में धारा 420, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत न्यायालय श्री अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलाड़ा के समक्ष चालान पेश किया, जिसमें उपरोक्त सभी अप्रार्थीगण को आरोप सुनाये जा चुके है तथा पत्रावली अभियोजन साक्ष्य हेतु चल रही है। उक्त फौजदारी मुकदमें में भी बाद अनुसंधान अनुसंधान अधिकारी द्वारा वर्ष 1962 में खातेदार मंगाराम द्वारा स्व. रतनसिंह को बैचान करना माना है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा वक्त खरीद से लेकर आज दिन तक स्व. रतनसिंह व उनके वारिसान प्रार्थीगण का होना माना है। दिनांक 11.06.2021 को सभी अप्रार्थीगण वादग्रस्त कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने की नियत से आये परन्तु वो उक्त गैर कानूनी कृत्य करने में सफल नही हुए तो उन्होने प्रार्थीगण को इस आशय की धमकी दी कि वादग्रस्त कृषि भूमि उनके नाम से दर्ज होने के आधार पर वो वादग्रस्त कृषि भूमि पर मौका देखकर जबरन कब्जा करके रहेंगे यदि प्रार्थीगण द्वारा उनके उक्त गैर कानूनी कृत्य में रूकावट डालने की कोशिश की तो अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में उनके द्वारा धोखा धड़ी व बेईमानी से करवाये गये इन्द्राज के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि उनके नाम खातेदारी दर्ज होने का दावा कर वादग्रस्त कृषि भूमि को

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:43:40 IST
Reason: SelfAttested

आगे से आगे बैचान हस्तान्तरण कर खुर्द बुर्द कर देंगे तथा प्रार्थीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में प्राप्त हक व अधिकारों से सदा सदा के लिए वंचित कर देंगे। इसलिए यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो सभी अप्रार्थीगण वादग्रस्त कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर लेंगे तथा वादग्रस्त कृषि भूमि को आगे से आगे बैचान हस्तान्तरण कर खुर्द बुर्द कर देंगे। जिससे प्रार्थीगण का वाद व प्रार्थना पत्र पेश करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा तथा प्रकरण में पैचिदगिया व मुकदमेंबाजी बढ जायेगी। क्योकि पूर्व में भी अप्रार्थीगण धोखा धड़ी व बेईमानी से वादग्रस्त कृषि भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवा चुके है, जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण आपराधिक प्रवृति के है तथा वो किसी समय उक्त अपराध कर सकते है तथा अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर जबरन कब्जा किया जाता है या वादग्रस्त कृषि भूमि को आगे से आगे बैचान किया जाता है तो इससे प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। इसलिए अप्रार्थीगण को उक्त गैर कानूनी कृत्य किये जाने से रोकने हेतु उन्हे जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व मूलवाद के निर्णय तक के लिए प्रार्थीगण के पक्ष में व अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वो राजस्व ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 370 रकबा 47 बीघा 2 बिस्वा किस्म बारानी ए वादग्रस्त भूमि हिस्सा 1/5 पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में न तो स्वयं दखलन्दाजी करे व न ही अन्य किसी के जरिये करावे, व न ही वादग्रस्त कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करे तथा उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि को अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत इन्द्राज के आधार पर किसी प्रकार से अन्तरित नही करे व न ही खुर्द बुर्द करे तथा वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा अप्रार्थी संख्या 9 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार का अप्रार्थीगण द्वारा अन्तरण के सम्बंध में दस्तावेज पेश होने पर उसका पंजीयन नही करे तथा वादग्रस्त कृषि भूमि के रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आशय के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए। अप्रार्थी संख्या 1 से 8 को उपस्थिति हेतु प्रर्याप्त अवसर प्रदान किये गये लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 से 8 उपस्थित नही होने पर तारीख पेशी दिनांक 20.12.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी व अप्रार्थी संख्या 9 की ओर से सरकारी पैरोकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:13:40 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित हुए और निवेदन किया कि वो प्रस्तुत प्रकरण में फोर्मल पक्षकार है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब देना नही चाहते है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को विधि द्वारा स्थापित निम्न तीन बिन्दुओं को तय करना है :—

प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति :— प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए मूल रूप से कथन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थीगण के पिता/पति स्व. रतनसिंह की खरीदसुदा है। जिस पर वक्त खरीद से लेकर आज दिन तक प्रार्थीगण के पिता/पति स्व. रतनसिंह का व उनके जीवनकाल में उनके साथ—साथ तथा उनके स्वर्गवास के बाद लगातार प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। यदि अप्रार्थीगण वादग्रस्त कृषि भूमि को उनके द्वारा धोखाधड़ी व बेईमानी से करवाये गये गलत इन्द्राज के आधार पर बैचान, हस्तान्तरण कर देते है या वादग्रस्त कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर लेते है तो इससे प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी, जिसका मूल्यांकन रूपयों में नही आंका जा सकता है व प्रार्थीगण सदा—सदा के लिए न्याय से वंचित हो जायेगा व प्रकरण में पैचिदगिया व मुकदमेंबाजी बढ जायेगी। इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वो राजस्व मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त कृषि भूमि को किसी प्रकार से अन्तरण नही करे न ही प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की स्वयं या अन्य से दखलन्दाजी करावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योकि प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि में से 1/5 हिस्से की भूमि प्रार्थीगण के पिता/पति की खरीदसुदा भूमि है, जिस पर वक्त खरीद से प्रार्थीगण के पिता/पति रतनसिंह का कब्जा व उनके स्वर्गवास के बाद प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है। जो प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में प्रस्तुत बिगोड़ी की रसीदों से व प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध करवाये गये फौजदारी मुकदमें में पुलिस द्वारा प्रस्तुत चालान से साबित है। प्रार्थीगण के पिता/पति रतनसिंह को उपरोक्त कृषि भूमि अप्रार्थीगण के पिता/दादा मंगाराम द्वारा वर्ष 1962 में बैचान किये जाने से उपरोक्त कृषि भूमि में कानूनन मंगाराम व उसके वारिसान का कोई हक व अधिकार नही रहा। फिर भी [illegible] बैचान के आधार पर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में रतनसिंह का नाम इन्द्राज [illegible] होने का फायदा उठाकर अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:13:40 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा मंगाराम व उसके पुत्र उम्मेदाराम का फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 921 व 1832 स्वीकृत करवाकर उपरोक्त कृषि भूमि अपने नाम से इन्द्राज करवाई। जबकि कानून की दृष्टि में दोनो फौतेदगी म्यूटेशन शून्य व अवैध है तथा ऐसे शून्य व अवैध म्यूटेशन से अप्रार्थीगण को मंगा के 1/5 हिस्से की भूमि के सम्बंध में मंगा द्वारा बैचान करने के बाद कानूनन कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होते है। इसलिए अप्रार्थीगण को उपरोक्त कृषि भूमि गलत इन्द्राज के आधार पर बैचान करने का कानूनन कोई अधिकार नही है तथा उपरोक्त कृषि भूमि गलत इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थीगण द्वारा बैचान की जाती है तो इससे प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। इसलिए मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है।

आदेष

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला दावा अप्रार्थी संख्या 1 सें 9 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो राजस्व ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 370 रकबा 47 बीघा 2 बिस्वा में से प्रार्थीगण की खरीदसुदा 1/5 हिस्से की भूमि के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपरोक्त पत्रावली मूलवाद के साथ नथी हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:13:40 IST
Reason: SelfAttested